(27)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/खरगौन/भू.रा./2018/2500 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.02.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 355/अपील/16-17.

---

छीतू पिता बाबूजी सिरवी
निवासी ग्राम नांदिया, पोस्ट नांदिया,
तहसील बडवाह जिला खरगौन, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

रामगोपाल पिता महादेवजी गोयल
निवासी बडवाह तहसील बडवाह,
जिला खरगौन, म.प्र. .....अनावेदक

---

श्री बी.के. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री जे.बी. दबे, अभिभाषक, अनावेदक

---

## :: आ दे श ::

**(आज दिनांक 4/10/18 को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 16.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की कृषि भूमि ग्राम अगरवाड़ा, तहसील बड़वाह स्थित सर्वे क्रमांक 115/1 रकबा 2.893 हैक्टेयर राजस्व

अभिलेख में अंकित है। प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन दिनांक 06.05.2013 को करवाया जाने पर ज्ञात हुआ कि प्रश्नाधीन भूमि पैकि रकबा 0.546 हैक्टेयर पर आवेदक का अनाधिकृत कब्जा है। अत: अवैध कब्जा आवेदक से दिलवाये जाने की प्रार्थना की गई। इस आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार, तहसील बड़वाह द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/अ-70/12-13 दर्ज कर दिनांक 18.11.2015 को आदेश पारित कर आवेदक से अनाधिकृत कब्जा अनावेदक को दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2017 से निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 16.02.2018 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 250 का सही विचार न करते हुए अपील निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है।

(2) अपर आयुक्त द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया कि सीमांकन की कार्यवाही में सभी पड़ोसी काश्तकारों को सीमांकन की सूचना नहीं दी गई और संहिता की धारा 124 के अनुसार बने नियमों के अनुसार सीमांकन न करने से उक्त सीमांकन कानून से अवैध है। इसलिए धारा 250 के अंतर्गत अवैध सीमांकन के आधार पर प्रस्तुत आवेदन कानून से चलने योग्य नहीं है, उसका विचार न करते अपील निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है।

(3) अपर आयुक्त द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन के लिए राजस्व निरीक्षक का कोई कथन नहीं कराया गया। ऐसी स्थिति में उक्त सीमांकन कानून से प्रमाणित नहीं माना जा सकता। उसका विचार न करते अपील निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है।

(4) अपर आयुक्त द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया कि आवेदक ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में जो दस्तावेज पेश किये हैं, जो मौके की वास्तविक स्थिति, नक्शा एवं

सीमांकन से संबंधी दस्तावेजों में घोर विरोधाभास है, उसका स्पष्टीकरण होने पर भी जवाब प्रस्तुत करेगा एवं जवाब का कोई अवसर न देते आवेदन निरस्त करने में कानूनी त्रुटि है। उसका विचार न करते हुए निगरानी निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है।

(5) अपर आयुक्त द्वारा इस बात पर भी विचार नहीं किया गया कि आवेदक को अनावेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण का कोई अवसर न देते आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है, उसका विचार न करते हुए अपील निरस्त करने में कानूनी त्रुटि की है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) दाविया भूमि का सीमांकन विधिवत रूप से राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी ने किया है। सीमांकन के समय आवेदक और अन्य पड़ोसी कृषकों को राजस्व निरीक्षक द्वारा सूचना देने के पश्चात् सीमांकन की कार्यवाही की गई है। सीमांकन के समय स्वयं आवेदक मौजूद था और आवेदक के कब्जे में अनावेदक की वादग्रस्त कृषि भूमि पाई गई। मौके पर विधि अनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही की गई।

(2) अनावेदक के स्वयं के कथन और गवाहों के कथन से सिद्ध है कि आवेदक सीमांकन के समय मौजूद था तथा सीमांकन की सारी कार्यवाही आवेदक के समक्ष की गई।

(3) अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक और उसके गवाहों से प्रतिपरीक्षण करने हेतु आवेदक को काफी और पूर्ण अवसर दिया इसके बावजूद आवेदक की ओर से प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया।

(4) अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक को अपना पक्ष रखने के लिए पूर्ण अवसर दिया है।

(5) आवेदक ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की तथा कार्यवाही करने का मौका आवेदक के पास था तथा सम्पूर्ण प्रकरण में आवेदक की कोई रूचि नहीं रही है।

(6) अनावेदक ने स्वयं के कथन व अपने व अपने साक्षियों के कथन कराये हैं तथा प्रदर्श पी-1, प्रदर्श पी-10 के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं जो प्रतिपरीक्षण नहीं करने के अभाव में अखण्डित रहे हैं, जिन पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।

(7) तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कान्यूरेन्ट फाईडिंग दी है तथा दोनों न्यायालयों ने आवेदक को पूर्ण अवसर देना माना है तथा सीमांकन की कार्यवाही के समय आवेदक को मौके पर उपस्थित होना माना है तथा सम्पूर्ण कार्यवाही वैध मानी है। इसलिए उक्त आदेशों में हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन विधिवत रूप से किया गया है। सीमांकन के समय आवेदक और अन्य पड़ोसी कृषकों को राजस्व निरीक्षक द्वारा सूचना देने के पश्चात् सीमांकन की कार्यवाही की गई है। सीमांकन का आवेदक ने नोटिस लेने से इंकार किया था, अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। सीमांकन में उसका अनावेदक की भूमि पर कब्जा पाया गया है। अतः तहसीलदार द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

''धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।''

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनंद स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

''धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।''

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर